No A-35021/02/2019-NTH Government of India (भारत सरकार) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution उपभोक्ता मामले विभाग Elegenter of Consumer Affairs

> कृषि भवन, नई दिल्ली Krishi Bhawan, New Delhi दिनांक /Dated : 23rd June, 2025

Subject: Extension of last date for filling up of the post of Administrative Officer in National Test House, Kolkata in Level 11 (Rs. 67700 - 208700) of pay matrix by Composite method [Promotion/Deputation (including short term contract)] basis.

NOTICE

CS (Busy) With reference to Vacancy Circular of even number dated 22.04.2025 inviting applications for the post of Administrative Officer in National Test House, Kolkata in Level 11 (Rs. 67700 - 208700) of pay matrix by Composite method [Promotion/Deputation (including short term contract)] basis, it is informed that the last date of receiving applications for Secy./L the aforesaid post is extended upto 01.07.2025. 0807

2. All other terms and conditions prescribed in the said vacancy circular will remain unchanged.

This issues with the approval of the Competent Authority.

वण्डीगढ

परिद्यालन

For n/a as per Rule.

Chia.

wces-II Branch

26904

Receipt N

Harvar

Date

7. 3 Copy to :

(मो. आमिर) (Md. Aamir) अवर सचिव, भारत सरकार Under Secretary to the Govt. of India

1. All-Ministries/ Department to the Government of India

2. The Chief Secretaries of all State Government/Union Territories.

3. Director General (In-charge), National Test House, CP Block, Sector - V Salt Lake, Kolkata-700009, with the request to post on the NTH website also.

4. NIC, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi alongwith a copy of Vacancy Circular dated 22.04.2025, with the request to upload the same on the website http://consumeraffairs.nic.in for wide circulation.

(मो. आमिर) (Md. Aamir) अवर सचिव, भारत सरकार Under Secretary to the Govt. of India

सं.ए-35021/02/2019-एनटीएच भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांकः 23rd जून, 2025

नोटिस

विषय: राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (67700-208700 रुपये) में समग्र पद्धति [प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)] के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद को भरने की अंतिम तिथि में विस्तार।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु समग्र पद्धति [प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)] के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (रु. 67700-208700) पर आवेदन आमंत्रित करने वाले दिनांक 22.04.2025 के समसंख्यक रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.07.2025 तक बढ़ा दी गई है।

2. उक्त रिक्ति परिपत्र में निर्धारित अन्य सभी नियम एवं शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

न्ताः कीग्रिंग् (मो. आमिर) 10 10 न

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

3. महानिदेशक (प्रभारी), राष्ट्रीय परीक्षणशाला, सीपी ब्लॉक, सेक्टर-V साल्ट लेक, कोलकाता-700009, इस अनुरोध के साथ कि इसे एनटीएच वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाए। 4. एनआईसी, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को दिनांक 22.04.2025 के रिक्ति परिपत्र की एक प्रति के साथ, इसे व्यापक Fi- 30,1352 http://consumeraffairs.nic.in पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(मो. आमिर) अवर सचिव, भारत सरकार

No. A – 35021/02/2019 – NTH Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Department of Consumer Affairs (National Test House Division)

12/2, Jam Nagar House, New Delhi Dated the 22nd April, 2025

VACANCY CIRCULAR

Sub:- Filling up of the post of Administrative Officer in National Test House, Kolkata in Level – 11 (Rs. 67700 – 208700) of the pay matrix by Composite method [Promotion/Deputation (including short term contract)] basis.

I am directed to say that it has been decided to fill up the post of Administrative Officer, General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial, in the Level – 11 (Rs. 67700 – 208700) of the pay matrix in the National Test House, a subordinate Office under the Department of Consumer Affairs by Composite method [Promotion/Deputation (including short term contract)] basis from the :-

 Officers under the Central Government / State Governments / Union Territories
 / Autonomous Bodies / Statutory Bodies / PSUs / Research Institutions / Universities :-

a. (i) holding analogous posts on regular basis;

or

(ii) with 5 years' regular service in posts in the pay level 10 (Rs. 56100 – 177500) in the pay matrix

and

- b. possessing the qualifications and experience prescribed as under;
- (i) Degree of a recognised University or Institute ; and
- (ii) Five years' experience in accounts, administration and establishment work in a Govt. office or public sector undertakings or autonomous or statutory body.
- (II) The Departmental Administrative Officer (Grade I) in the level 10 in the pay matrix Rs. 56100 – 177500 with 5 years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.
- (III) The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

- (IV) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty – six) years as on the closing date of receipt of the application.
- (V) For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

2. The Place of posting is Kolkata.

3. It is requested that the applications in the enclosed Proforma (Appendix – 1) from officers who are willing and fulfilling the above mentioned qualifications and experience and whose services can be spared immediately on his / her selection to the post, may be forwarded through proper channel to the Under Secretary (NTH), Department of Consumer Affairs, 12/2, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi – 110011, in hard copy and also through email (aamir.edu.@nic.in), within 45 (Forty Five Days) from the date of issue of advertisement in the Employment News / Rozgar Samachar, along with attested copies of latest 5 years' Confidential Reports / APARs (each page attested by an officer not below the rank of Under Secretary), Vigilance Clearance, No Penalty Statement during last 10 years, Integrity Certificate and Cadre Clearance (as per Proforma enclosed). Incomplete applications without above mentioned documents will not be entertained. Applications received after the closing date will not be entertained / considered.

3. The candidates, in the event of their selection, will not be allowed to withdraw their candidature subsequently on any ground.

Encl. : As above.

heer

(Md. Aamir) Under Secretary to the Govt. of India email- aamir.edu@nic.in

Copy to:

- 1. All Ministries / Departments of the Government of India.
- The Chief Secretaries of all State Governments / Union Territories with the request to give wide circulation.
- Director General, National Test House, CP Block, Sector V Salt Lake, Kolkata 700009, with the request to upload on the NTH website also.
- NIC, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi with the request to place this vacancy circular on the website of the Department http://consumeraffairs.nic.in for wide circulation.

geen (Md. Aamir)

Under Secretary to Govt. of India

- ANNEXURE-I

18/-

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.1) Date of entry into service	
(ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4.Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required mentioned in the advertisement/ vaca circular	as Qualifications/ experience possessed by the officer ncy
Essential	Essential
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
Desirable	Desirable
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	BI Experience
and issue of Advertisement in the Employmen	ate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary
.1 Note: Borrowing Departments are to post elevant Essential Qualification/ Work experies ata) with reference to the post apollod	

-3-

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, If the space below is insufficient.

-2-

Office/Institution	Post held on regular basis	From	То	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for
					- Print Prin

*Important: Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be Indicated as below;

Office/Institution	Pay Pay Band and Code D	1	
	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP / MACP Scheme	From	To

8.Nature of present empl hoc or Temporary or Qi or Permanent	Jasi-Permanent		
9.In case the present e held on deputation/co please state-	employment is ontract basis,	a .	
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	in a parent	post and Pay o
igilance Clearance and Inter 2 Note: Information under	Column 9(c) & (d) above i	long with Cadre Clearance,	

mast by the appl	f on Deputation in the cant, date of return eputation and othe	n		8	
11.Additional detai employment:	ls about present				
Please state whethe (indicate the name o against the relevant	fyour employer				
a) Central Govern b) State Govern c) Autonomous	ment Organization		2		1
d) Government e) Universities f) Others	Indertaking				
 Please state w working in the same are in the feeder grin feeder grade. Are you in Revised yes, give the date revision took place and pre-revised scale 	Department and ade or feeder to I Scale of Pay? If from which the				
pre-revised scale 14.Total emoluments pr	er month now drawn				·
Basis Pay in the PE		Grade Pa	ау	Total Er	noluments
1					
5. In case the applican ay-scales, the latest sa inclosed.	it belongs to an Org lary slip issued by	anisation the Organ	which Is not fo alsation showin	l Ilowing the Cen ig the following	tral Governmen details may b
isic Pay with Scale of y and rate of crement	d rate of relief /other Allowances		Total Emolum	ents	
A Additional Informa t you applied for in su post. s among other things m	pport of your suitab	bility for			

· professional training and (iii) work experience over and	1
Jove prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement)	*
(Note: Enclose a separate sheet, if the space is Insufficient)	
16.B Achievements:	
The candidates are requested to indicate information with regard to;	
(i) Research publications and reports and special projects	
(ii) Awards/Scholarshlps/Official Appreciation	
(iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and;	
(iv) Patents registered In own name or achieved for the	
(v) Any research/ Innovative measure involving official	1
recognition vi) any other information.	
(Note: Enclose a separate sheet If the space is insufficient)	
17. Please state whether you are applying for	
deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.# Officers under Central/State Governments are only	
eligible for "Absorption". Candidates of non-	
Sovernment Organizations are eligible only for Short erm Contract)	
(The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment' re available only If the vacancy circular specially	
ientioned recruitment by "STC" or "Absorption" or	
Re-employment").	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the candidate)

Address_____

Date_

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The Information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately. 2. Also certified that;

7-

There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt.

li) His/ Her integrity is certified.

III) His/ Her CR Dossier In original Is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed...

Iv) No major/minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years Or Alist of major/minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

190

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Points to be noted by the Borrowing/ Parent Department/ Office to be highlighted in DOP&T circular for compliance by the Ministries/ Departments]

- 8-

1. Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 3 years after the currency of punishment, If a minor penalty has been imposed on an officer. In case of imposition of a major penalty, Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 5 years after the currency of punishment in terms of DOP&T O.M. No.11012/11/2007-Estt.(A) dated 14.12.2007.

2. While forwarding applications in respect of officers who are about to complete their 'cooling-off' period shortly the instructions of DOP&T as contained in O.M. No.2/1/2012-Estt.(Pay.II) dated 04.01.2013 may be strictly adhered to.

3. A copy of the Application format may be provided by the Borrowing Department in their website in a downloadable form as *Word Document* along with the advertisement.

4. In the case of a vacancy already existing at the time of Issue of communication inviting nominations/ publication in the Employment News, the eligibility may be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations in the concerned administrative Ministry/Department. In the case of an anticipated vacancy, the crucial date for determining eligibility should be the date on which the vacancy is expected to arise.

5. It shall be prominently mentioned in the vacancy circular/ advertisement that the applications/CV not accompanied by supporting certificates/ documents in support of Qualification and Experience claimed by the candidates would not be processed for determining the eligibility of the candidates for the selection.

6. Crucial date for determining the eligibility of the applicants will be counted after excluding the first date of publication of the vacancy/ post in the Employment News.-ie., For the vacancy published in the Employment News of 18-24 Jan. 2014, the crucial date will be counted from the 19th Jan. 2014 (excluding the first date of publication).

7. To facilitate determination of eligibility of the applicants working in Public Sector Undertakings/ Autonomous organizations not following the Central Government Scales, their equivalent scales of pay/posts may be confirmed by the borrowing Department. Where necessary, details in this regard may also be ascertained from the lending Department.

Annexure-II

संख्या ए-35021/02/2019-एन.टी.एच. भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग (राष्ट्रीय) परीक्षण शाला प्रभाग)

> 12/2, जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली दिनांक 22 अप्रैल , 2025

रिक्ति परिपत्र

विषयः राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (₹67,700 - 2,08,700) में प्रशासनिक अधिकारी के पद को समग्र पद्धति [पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)] के आधार पर भरा जाना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मामले विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (67700-208700 रुपये) में प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय के पद को समग्र पद्धति [पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)] के आधार पर निम्नलिखित में से भरने का निर्णय लिया गया है:-

 केंद्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्रों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / अनुसंधान संस्थानों / विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने –

- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; अथवा
 - (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100 -1,77,500) के पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो;

तथा

- (ख) नीचे विनिर्दिष्ट की गई अर्हताएं और अनुभव धारित करता हो -
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री; और
 - (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त अथवा सांविधिक निकाय में लेखा, प्रशासन और स्थापना कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो;

II. वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में ₹56,100 – 1,77,500 रूपए के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-I) पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने की स्थिति में इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।

III. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। IV. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 से पहले अथवा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में संशोधित स्तर को लागू किए जाने की तारीख से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू वेतन मैट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में दी गई सेवा समझा जाएगा सिवाय वहां जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमानों को वेतन मैट्रिक्स में साझा स्तर के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया हो और जहां यह लाभ केवल उन पद (दों) के लिए होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

2. तैनाती का स्थान कोलकाता है।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त योग्यताओं तथा अनुभव को पूरा करने वाले इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें इस पद पर उनका चयन हो जाने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट-।) में, 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों (जिनका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, जो अवर सचिव से कम के स्तर का न हो,) सर्तकता निकासी, पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति नहीं संबंधी विवरण, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और संवर्ग निकासी (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार) सहित, अवर सचिव(राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग, 12/2, जाम नगर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 को हार्ड कॉपी में तथा ईमेल (<u>aamir.edu@nic.in</u>) पर, Employment News / रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने की तिथि से 45 दिनों (पैंतालीस दिनों) के अंदर उचित माध्यम के द्वारा अग्रेषित कर दिए जाएं। उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. चयन हो जाने के उपरांत आवेदकों को किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(मो. आमिर) अवर सचिव, भारत सरकार ईमेल- aamir.edu@nic.in

प्रति:

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को व्यापक परिचालन के अनुरोध के साथ।
- महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सी पी ब्लॉक, सेक्टर-V, साल्ट लेक, कोलकाता-700009, को इस अनुरोध के साथ कि इसे एन.टी.एच. की वेबसाइट पर भी अपलोड करें।
- 4. एन.आई.सी., उपभोक्ता मामले विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि व्यापक परिचालन के लिए इस रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट http://consumeraffairs.nic.in पर अपलोड करें।

- आगिर

(मो. आमिर) (अवर सचिव, भारत सरकार)

<u>अनुलग्नक – ।</u>

बायो-डाटा/जीवन वृत का प्रोफार्मा

में) 2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में)	
2. जन्मतिथ (इस्वा सन म)	
a is the stimber of flat	
3.i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के	
नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की	
तारीख	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित	
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	
संतोषजनक हैं। (यदि किसी	
अर्हता को नियमों में निर्धारित	ж.
किसी अर्हता के समतुल्य समझा	
गया हो तो, उसके लिए	
प्राधिकारी का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/ रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित की	
गई वांछित अर्हताएं/ अनुभव	अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हता	क) अर्हता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
वांछित	वांछित
(क) अर्हता	क) अर्हता
(ख) अनुभव	ख) अनुभव
5.1 नोट: रोजगार समाचार में परिप	त्र के जारी होने के समय प्रशासनिक
मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमों में उर्ी	ल्लखित वांछित और अनिवार्य अर्हताओं
को दर्शाने के लिए इस कॉलम को विस्तृत वि	केया जाना अपेक्षित है।
5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के	मामले में, वैकल्पिक/अनिवार्य विषयों को
अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित किया जाए।	
6. कृपया आपके द्वारा की गई उपर्	कि
प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह बत	

कि क्या आप पद की अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करते हैं।	
6.1 नोट: आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी	द्वारा धारित संगत अनिवार्य अर्हता/ त) विभाग दारा अपनी विशिष्ट

कार्य अनुभव(बायोडाटा में यथा उल्लिखित) विभाग द्वारा टिप्पिणियां/मत की पुष्टि करते हुए प्रदान किया जाना अपेक्षित है। 7. कालक्रम के अनुसार नियोजन के ब्यौरे। यदि नीचे जगह कम हो तो अपने विधिवत हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग कागज संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था		से	तक	*नियमित आधार पर धारित किए गए	
	आधार पर धारित पद				
				बैंड/ग्रेड	अनुभव को
	1.02			वेतन/वेतनमान	रेखांकित
					करते हुए ड्यूटियों की
	-				प्रकृति
					(विस्तृत)

*महत्वपूर्ण: ए.सी.पी. और एम.ए.सी.पी. के तहत अधिकारी को स्वीकृत किए गए पे-बैंड और ग्रेड वेतन वैयक्तिक होते है और इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित किए गए पद के पे-बैंड और ग्रेड वेतन का उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां अभ्यर्थी द्वारा ऐसे वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में एसीपी/एमएसीपी का हितलाभ प्राप्त किया गया हो वहां ऐसे हितलाभ के ब्यौरो का उल्लेख निम्नानुसार किया जाए;

 for the full many full and the	मे	तक
एसीपी/एमएसीपी स्कीम के	CI	N. T.
तहत आहरित वेतन, बैंड और		
ग्रेड वेतन		
	And the second s	

8. वर्तमान नियो अर्थात् तदर्थ अथ अथवा स्थायी		3			
9. यदि वर्तमान प्रतिनियुक्ति/संवि तो कृपया बताएं:	दा आधार पर है				
क) प्रारंभिक	ख) प्रतिनियुक्ति	ग) मूल	कार्यालय/	घ) वर्तमान	संगठन

नियुक्ति की तिथि	संविदा पर नियुक्ति की अवधि	संगठन का जिससे संबंधित है।		में कल्पित क्षमता में धारित पद का नाम तथा पद के लिए वेतन
9.1 नोट: अधिकार मामले में, ऐसे अधि द्वारा संवर्ग निकासी पत्र के साथ अग्रेषित 9.2 नोट: उपरोक्त सूचनाएं उन सभी व्यक्ति ने संवर्ग संग किया है लेकिन व धरणाधिकार बनाए	कारियों के आवेदनों व , सतर्कता निकासी औ किया जाना चाहिए। कॉलम 9(ग) और (घ मामलों में दी जानी ठन से बाहर प्रतिनिक ह अभी अपने मूल	को मूल सवग/ति र सत्यनिष्ठा प्र) के तहत मांग चाहिए जहाँ युक्ति पर पद	वभाग माण- ती गई किसी धारण	

10. यदि आवेदक द्वारा विगत समय में प्रतिनियुक्ति पर कोई पदधारण किया गया हो तो विगत प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तिथि और अन्य ब्यौरे।	
11. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे:	
कृपया यह बताएं कि क्या निम्नलिखित के अधीन कार्यरत है:	
(संगत कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)	
क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार	

ग) स्वायत्त संगठन					
घ) सरकारी उपक्रम					
ड) विश्वविद्यालय					
च) अन्य					
12. कृपया यह ब	ताएं कि क्या आप				
उसी विभाग में का					
ग्रेड या फीडर ग्रेड वे					
13. क्या आप संश	धित वेतनमान में				
है? यदि हां तो उस					
करें जब, संशोधन					
संशोधन-पूर्व वेतनम					
	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
14. वर्तमान में प्रति					
जा रही कुल परिलब्	धयां				
वेतन बैंड में मूल	ग्रेड वेत	न		कुल परिलब्धि	यां
वेतन					
15. यदि आवेदक ऐर	ते संगठन से संबंधित	न है जो वे	न्द्र सर	कार की वेतनम	ान का
अनुसरण नहीं कर र					
जारी आखिरी वेतन प	harmen our man ourset to				
वेतनमान सहित	महंगाई/अंतरिम		कल प	रिलब्धियां	
मूल वैतन और		आदि	3		
वृद्धि दर सहित	(अलग-अलग व्यौरे				
Sid ar night		meny			

16. (क) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आपके द्वारा आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में संगत हो	
(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं दी जाएं):	
 (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण; और (iii)विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त अनुभव। (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)। 	
16. (ख) उपलब्धियां:	
अभ्यर्थी निम्निलिखित से संबंधित सूचना प्रदान करें-	
(i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना;	
(ii) पुरस्कर/छात्रवृत्ति/शासकीय प्रशस्ति; (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से	
सम्बद्धता; (iv) स्वयं के नाम में पंजीकृत पेटेंट अथवा संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेन्ट	
(v) शासकीय पहचान सहित कोई अनुसंधान/नवोन्मेषी उपाय	
(vi) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक	

(आईएसटीसी)/	
समामेलन(एबजार्वशन)/पुर्ननियोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों के	
अधीन अधिकारी ही "एबजार्वशन" के लिए पात्र	
हैं। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल	
अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं।)	
# 'एसटीसी' /'एबजार्वशन'/ 'पुर्ननियोजन' का	
विकल्प उसी स्थिति में उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" अथवा	
'एबजार्वशन' अथवा 'पुर्ननियोजन' द्वारा भर्ती का	
उललेख किया गया हो।	
18. क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।	

मैंने रिक्ति पत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि चयन समिति द्वारा पद पर चयन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित बायोडेटा में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/विवरण सही हैं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं और किसी महत्वपूर्ण विवरण जो मेरे चयन से संबंधित है, को दबाया या छिपाया नहीं गया है।

(अभ्यार्थी के हस्ताक्षर)

पता

दिनांक_____

अन्लग्नक -- 11

<u>आदाता/मूल विभाग/ कार्यालय द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु जिन्हें मंत्रालय/</u> विभाग के अनुपालनार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परिपत्र में स्पष्ट किया जाएगा -

1. आमतौर पर यदि किसी अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गई है तो दंड लगाए जाने के बाद से तीन वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। आमतौर पर किसी बड़ी शास्ति के अधिरोपित किए जाने के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के का.ज्ञा सं. 11012/11/2007 स्थापना (ए) के अनुसार, दंड अधिरोपित किए जाने के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी।

2. जो अधिकारी शीघ्र ही अपनी कूलिंग ऑफ अवधि पूरा करने वाले हैं; उनके संबंध में आवेदनों को अग्रेषित करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2012 स्था. (पे II) में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

3. आदाता विभाग द्वारा विज्ञापन सहित एक प्रति वर्ड डाक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड किए जा सकने वाले आवेदन पत्र में उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए।

4. यदि रोजगार समाचार में नामांकन/प्रकाशन को आमंत्रित करने की सूचना जारी करते समय रिक्ति पहले से मौजूद है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामांकन की प्राप्ति के लिए विनिर्धारित अंतिम तिथि से पात्रता निर्धारित की जा सकती है। प्रत्याशित रिक्ति के मामले में पात्रता निर्धारण की निर्णायक तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस तिथि को रिक्ति होने की संभावना है।

5. रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में इसका उल्लेख मुख्य रूप से किया जाएगा कि अभ्यार्थियों के द्वारा दावाकृत अर्हता और अनुभव के समर्थन में समर्थनकारी प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से रहित आवेदन/ सीवी को चयन के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी। 6. आवेदकों की पात्रता को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि की गणना रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर की जाएगी अर्थात 18 से 24 जनवरी 2014 के रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति के लिए निर्णायक तिथि की गणना 19 जनवरी 2014 (प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर) से की जाएगी।

7. केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके वेतन/पद के समतुल्य वेतनमान के संबंध में आदाता विभाग द्वारा प्रतिपुष्टि की जा सकती है। जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में ब्यौरों से संबंधित अभिनिश्चय प्रदाता विभाग से किया जा सकता है।

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्य और सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता/रखती है। यदि चयन होता है तो उसे तत्काल कार्य-भार मुक्त किया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

(i) श्री/श्रीमती...... के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला न ही लंबित है और न ही विचाराधीन है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है। (iii) इनके सीआर डोसियर की मूल प्रति संलग्न है। विगत 5 वर्ष के एसीआर की प्रतिलिपियां अवर सचिव, भारत सरकार के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर की

टैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं संलग्न हैं। (iv) पिछले 10 वर्ष के दौरान इन पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है अथवा विगत 10 वर्ष के दौरान इन पर अधिरोपित की गई छोटी/बड़ी शास्तियों की सूची संलग्न हैं (जैसा भी मामला हो)।

(प्रतिहस्ताक्षरित)

(मोहर सहितसाथ नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी)